भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3797

24.03.2025 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण

3797. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अवसरंचना के विकास और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत एक वर्ष में विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी वन भूमि का उपयोग किया गया है और कितना प्रतिपूरक वनरोपण किया गया है; और

(ग) प्रतिपूरक वनरोपण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौन सा निगरानी तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) विकास और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) कार्य को बढ़ाने और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान सहित पर्याप्त उपशमन उपायों के साथ वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति दी जाती है। मामला-दर-मामला आधार पर मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, जलग्रहण क्षेत्र योजना और वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि के रूप में अतिरिक्त उपशमन उपाय भी निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत, 23436.23 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विभिन्न वनेतर उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपवर्तन संबंधी आदेश जारी होने के बाद और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनुमोदित स्कीम के अनुसार यथा लागू प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है।

जहां तक प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी का प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कार्यों के मूल्यांकन के लिए निधियों के उपयोग और वनीकरण तथा अन्य कार्यकलापों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु आंतरिक और तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी की जाती है। राज्य वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आंतरिक निगरानी की जाती है तथा पेशेवर संस्था को नियुक्त करके तीसरे पक्ष की निगरानी की जाती है। सीएएफ अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, राज्य काम्पा के स्तर पर संचालन समिति के अलावा, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के स्तर पर एक निगरानी समूह निगरानी कार्य संबंधी पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय तैयार करता है। विभिन्न कार्यकलापों के मूल्यांकन से कार्यान्वयन में आने वाली कमियों और अंतरों की पहचान करने में मदद मिलती है, वनीकरण और अन्य पारिस्थितिकी-पुनर्बहाली कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा निधियों के उचित उपयोग के लिए समय-समय पर इन कमियों और अंतरों का समाधान किया जाता है।

*****